

22-11-21

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

कृष्णा सुभा 20PTD बनाम सरकार

नम्बर 371 सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
22-11-21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>शमेजा</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/1020. दिनांक 22-11-21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>शमेजा</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>20 PTD</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2073-76</u> के खाता सं. <u>11</u> में <u>कृष्णा सुभा 5/0 चानणपुर</u> के स्थान पर <u>कृष्णा सुभा 8/0 चानणपुर</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>शमेजा</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक <u>20 PTD</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2073-76</u> के खाता सं. <u>11</u> में <u>कृष्णा सुभा 5/0 चानणपुर</u> के स्थान पर <u>कृष्णा सुभा 8/0 चानणपुर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शप अकन बदलार शमेजा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 कृष्णा सुभा

